

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


## कार्यालय-आदेश

परिवीक्षाकाल उपरांत प्रधानाध्यापक-मावि के स्थायीकरण हेतु विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों के संबंध में जारी आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-3 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक (श्री/श्रीमती/सुश्री)	संशोधन
I	II	III
1	<b>DASHRATH SINGH RAO</b> GOVT. SECONDARY SCHOOL - MOCHHAL (213960) SIROHI	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001 /पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/2-307 दिनांक 09.02.2022 में स्थायीकरण तिथि 27.11.2021 के स्थान पर 28.11.2021 पढी जावें।
2	<b>RAKESH KUMAR JATAV</b> GOVT. SECONDARY SCHOOL SITARA KUMHER (217137) BHARATPUR	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001 /पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/3-81 दिनांक 21.02.2022 में स्थायीकरण तिथि 21.10.2021 के स्थान पर 22.10.2021 पढी जावें।
3	<b>PUSHPA MEENA</b> GOVT. SECONDARY SCHOOL NAGARAJ PURA (225011) JAIPUR	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001 /पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/2-307 दिनांक 09.02.2022 में स्थायीकरण तिथि 16.10.2021 के स्थान पर 19.10.2021 पढी जावें।
4	<b>VIKRAM SINGH MEENA</b> GOVT. SECONDARY SCHOOL RAMSINGHPURA (218714) JAIPUR	प्रधानाध्यापक-मावि स्थायीकरण आदेश शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001 /पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/ दिनांक 13.12.2021 में स्थायीकरण तिथि 18.10.2021 के स्थान पर 19.10.2021 पढी जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/पीएससी-18/स्थायीकरण/2021/न.७

दिनांक | 04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, राज0, अजमेर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा)।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 7 संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान।
- 8 रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक-कार्मिक